

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग

कृषि विभाग

पत्रांक सं0-04 / रा0 कृषि0 विंपौ०सं०यो०-304 / 2024-60- कृ० पटना दिनांक, 30/03/2024

प्रेषकः—

मनोज कुमार  
संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना

सेवा में

(+)  
अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,  
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः—

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) (60:40) अंतर्गत बगीचों में समेकित कीट प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1424.56610 लाख (चौदह करोड़ चौबीस लाख छप्पन हजार छः सौ दस) रुपये, केन्द्रांश 854.73966 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख तेहतर हजार नौ सौ छियासठ) रुपये एवं राज्यांश 569.82644 लाख (पाँच करोड़ उनहतर लाख बेरासी हजार छः सौ चौवालीस) रुपये की कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश— स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) (60:40) अंतर्गत बगीचों में समेकित कीट प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1424.56610 लाख (चौदह करोड़ चौबीस लाख छप्पन हजार छः सौ दस) रुपये, केन्द्रांश 854.73966 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख तेहतर हजार नौ सौ छियासठ) रुपये एवं राज्यांश 569.82644 लाख (पाँच करोड़ उनहतर लाख बेरासी हजार छः सौ चौवालीस) रुपये की कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) अंतर्गत बगीचों में समेकित कीट प्रबंधन योजना के तहत निम्नान्ति कार्यक्रम सम्मिलित है :—

(I) सरजमीन सेवा के रूप में उद्यानिक फलों यथा आम, लीची एवं अमरुद के वृक्षों पर अनुदान पर कीटनाशी का छिड़काव (कीटनाशी सहित)

(II) कीट-व्याधि प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप, स्टीकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप, जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/ खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान।

3. उद्यानिक फलों यथा आम, लीची एवं अमरुद के वृक्षों पर सेवा प्रदाता के द्वारा कीटनाशी छिड़काव (कीटनाशी सहित) कार्यक्रमः—

3.1 उद्यानिक फलों यथा आम, लीची एवं अमरुद के वृक्षों पर सेवा प्रदाता के द्वारा कीटनाशी छिड़काव (कीटनाशी सहित) किया जायेगा। आम के वृक्षों पर मंजर से पूर्व एवं मंजर के बाद की अवस्था पर कीट/व्याधि सहित फूट छाँप प्रबंधन हेतु छिड़काव किए जाने की अनुशंसा है। जिससे मधुआ कीट, दहिया कीट एवं पाउडरी मिल्डयु तथा आम

४३

४४

को गिरने से रोकने के लिए छिड़काव की अनुशंसा है। केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड (निबंधन कमिटी) CIB (RC) द्वारा पंजीकृत जैविक अथवा रासायनिक कीटनाशक/फफूदनाशी/पादप वृद्धि नियामक में से उपयुक्त कीटनाशक/फफूदनाशी/पादप वृद्धि नियामक का उपयोग सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा। छिड़काव हेतु कीटनाशी का चुनाव कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्व विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र या सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के अनुशंसा पर किया जायेगा। छिड़काव हेतु 75 प्रतिशत अनुदान प्रति वृक्ष कृषकों को देय होगा। आम के वृक्षों पर प्रथम छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 57 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 76 रु0 प्रति वृक्ष) एवं द्वितीय छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 72 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 96 रु0 प्रति वृक्ष)। एक किसान को प्रथम छिड़काव एवं द्वितीय छिड़काव हेतु अलग-अलग अधिकतम 112 वृक्षों (प्रति छिड़काव) पर अनुदान देय होगा, जिसमें 279.9300 लाख रु0 व्यय होगा।

3.2 लीची में मंजर से पूर्व तथा मंजर के बाद की अवस्था में दो छिड़काव किया जाता है। मंजर से पूर्व सुरक्षात्मक उपचार एवं स्टीन बोरर (बीज छेदक), लीची माइट एवं स्टींग बग के लिए छिड़काव की अनुशंसा है। लीची के वृक्षों पर प्रथम छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 162 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 216 रु0 प्रति वृक्ष) एवं लीची के वृक्षों पर द्वितीय छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 114 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 152 रु0 प्रति वृक्ष)। एक किसान को प्रथम छिड़काव एवं द्वितीय छिड़काव हेतु अलग-अलग अधिकतम 84 वृक्षों (प्रति छिड़काव) पर अनुदान देय होगा, जिसमें 306.63600 लाख रु0 व्यय होगा।

3.3 अमरुद के वृक्षों पर प्रथम छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 33 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 44 रु0 प्रति वृक्ष) एवं अमरुद के वृक्षों पर द्वितीय छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 45 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 60 रु0 प्रति वृक्ष)। एक किसान को प्रथम छिड़काव एवं द्वितीय छिड़काव हेतु अलग-अलग अधिकतम 56 वृक्षों (प्रति छिड़काव) पर अनुदान देय होगा, जिसमें 27.07380 लाख रु0 व्यय होगा।

3.4 लीची, आम एवं अमरुद में दो-दो छिड़काव हेतु कुल व्यय 613.63980 लाख रु0 संलग्न है।

3.5 उपरोक्त कीटनाशी छिड़काव कार्य का सत्यापन हेतु किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, पौधा संरक्षण कर्मी, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक को उपलब्धता के अनुसार चयन किया जायेगा।

3.6 संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण बिहार, पटना के कार्यालय में योजना के प्रचार-प्रसार एवं जिलों में आकस्मिक कीट नियन्त्रण हेतु कन्टीजेन्सी के रूप में राशि कर्णाकित करने की स्वीकृति है, जिसमें 12.48950 लाख रु0 का व्यय होगा। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची 02 के रूप में संलग्न है।

3.7 उपरोक्त सभी योजना के संचालन हेतु डी0बी0टी0 वेब पोर्टल विकसित कर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। डी0बी0टी0 वेब पोर्टल पर सरजमीन सेवा के रूप में कीटनाशी छिड़काव का आवेदन एवं सभी तरह के पौधा संरक्षण संबंधित उपादन वितरण का आवेदन कृषकों से प्राप्त किया जायेगा। किसानों का डी0बी0टी0 पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य होगा।

3.8 किसानों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त आवेदन को समय निष्पादित करने हेतु समय तालिका (फ्लो चार्ट) को कृषि निदेशक, बिहार के स्तर से जारी किया जायेगा।

जिसका अक्षरणः अनुपालन की स्थिति में संबंधित कर्म करना अनिवार्य होगा। ससमय आवेदन निष्पादन नहीं करने कार्रवाई के पात्र होंगे।

4. कीट-व्याधि प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप, स्टीकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप, जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदानः—

4.1 राज्य के सभी 38 जिलों में 75 प्रतिशत अनुदान पर फेरोमोन ट्रैप, स्टीकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप साथ ही 50 प्रतिशत अनुदान पर जैव कीटनाशी/रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका कलस्टर में प्रयोग किया जायेगा। विभिन्न तरह के कीटों तथा व्याधियों के नियंत्रण हेतु जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी तथा खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवारनाशियों पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे कृषक अपने अनाज फसलों, दलहन, तेलहन तथा सब्जी एवं उद्यानिक फलों यथा आम, लीची, अनार, अमरुद केला एवं अन्य फलदार पेड़ों में लगने वाले कीट-व्याधि का प्रबंधन कर सकेंगे। सफेद मक्खी, लाही एवं अन्य उड़ने वाले छोटे कीटों के प्रबंधन हेतु पीला एवं नीला स्टीकी ट्रैप का प्रयोग किया जायेगा। सभी सब्जी, दलहन, तेलहन एवं अनाज फसलों में फॉल आर्मी चर्म, तम्बाकु की सुन्डी, फली छेदक कीट, तना छेदक कीट आदि के प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा। लत्तेदार सब्जी के साथ-साथ आम, अमरुद एवं अनार में फल सङ्घन के प्रबंधन के लिए फल मक्खी का लाईफ टाईम ट्रैप लगाया जायेगा।

4.2 एक किसान को अधिकतम 02 हेठो तथा टाल क्षेत्र के जिलों में अधिकतम 5 हेठो हेतु अनुदान देय होगा। कीट-व्याधि प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप, स्टीकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप, जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय अनुसूची 3 पर संलग्न है, जिसमें कुल 798.43680 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।

##### 5. सेवा प्रदाता का चयन :-

5.1 कृषकों के वृक्षों पर कीटनाशी के छिड़काव हेतु सेवा प्रदाता के रूप में स्थानीय कीटनाशी विक्रेता, कीटनाशी विनिर्माता, किसान उत्पाद संगठन (FPO), स्वयंसेवी संस्थान (एनोजीओओ), निजी संस्था/कम्पनी आदि हो सकते हैं, जिनका चयन इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) के द्वारा जिलावार किया जायेगा। इनके पास कीटनाशी के छिड़काव एवं भुज़काव का अनुभव के साथ उन्नत छिड़काव यंत्र यथा नैपसैक/रॉकर स्प्रेयर/डस्टर कम स्प्रेयर, मल्टीबुम स्प्रेयर आदि यंत्र उपलब्ध होंगे। सेवा प्रदाता के द्वारा कृषकों के उद्यानिक फलों में अनुशंसित कीटनाशी का छिड़काव किया जायेगा। सभी जिलों में सेवा प्रदाता का जिलावार या राज्यस्तरीय अनुबंध सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना के बीच किया जायेगा।

5.2 आम, लीची एवं अमरुद के वृक्षों पर छिड़काव हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रचारित इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या 01–पौ०स०/2023 दिनांक 15.10.2023 के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता अनुबंध अवधि तक अपने क्षेत्रांतर्गत छिड़काव हेतु पात्र होगे।

5.3 छिड़काव कार्य का 25 प्रतिशत राशि कृषकों के द्वारा सेवा प्रदाता को देय होगा एवं शेष 75 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा सेवा प्रदाता को भौतिक सत्यापन के उपरान्त देय होगा।


- 5.4 आमलीची एवं अमरुद के वृक्षों पर कीटनाशी छिड़काव एवं पौधा संरक्षण संबंधित उपादान पर अनुदान हेतु किसान डी०बी०टी० वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
- 5.5 सेवा प्रदाता द्वारा छिड़काव शुल्क (कीटनाशी सहित) का 75 प्रतिष्ठत राष्ट्रीय का भुगतान सेवा प्रदाता को एवं पौधा संरक्षण उपादान क्रय करने वाले लाभुक किसानों को अनुदान की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते पर PFMS के माध्यम से देय होगा।
6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत पौधा संरक्षण कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में किया जाना है। उक्त सभी कार्यक्रमों का Geo-tagging निश्चित रूप से किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) पौधा संरक्षण अंतर्गत सभी कार्यक्रमों का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूचि 01 से 03 के रूप में संलग्न है।
8. वित्तीय वर्ष 2024–25 में बगीचों में समेकित कीट प्रबंधन योजना से संबंधित जिलावार, कोटिवार एवं व्ययन पदाधिकारीवार कुल वित्तीय लक्ष्य अनुसूची 4 के रूप में संलग्न है।
9. भारत सरकार के अर्द्ध–सरकारी पत्र संख्या—13–22 / 2023–PC दिनांक—14.12.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) अंतर्गत केन्द्रांश मद में कुल 77.68 करोड़ रु० संभावित उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं किया गया है। भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्ति के पश्चात् समानुपातिक राज्यांश सहित आवंटनादेश निर्गत कर राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।
10. भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य स्तर पर Single Nodal Agency (SNA) के रूप में कृषि निदेशक, बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण Implementing Agency के दायित्व का निवर्हन करेंगे।
11. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के आलोक में स्वीकृत राशि के अनुसार इस योजना के लिए निर्धारित बैंक खाता में भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान की राशि 60 प्रतिशत समानुपातिक राज्यांश 40 प्रतिशत की राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर PFMS पोर्टल में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में अलग—अलग संधारित की जायेगी। सिंगल नोडल एजेन्सी (SNA) के द्वारा Implementing Agency के लिए निर्धारित स्वीकृत राशि के अधीन समय—समय पर व्यय अधिसीमा निर्धारित कर राशि का व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा।
12. स्वीकृत राशि के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण बिहार, पटना से अधियाचना प्राप्त होने पर सिंगल नोडल एजेन्सी (SNA) द्वारा संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण बिहार, पटना को राशि कर्णाकित की जायेगी।
13. संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण बिहार, पटना व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण—पत्र कृषि निदेशक, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण—पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त कार्यक्रम को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की अनुशंसा दिनांक—07.03.2024 की बैठक में प्रदान की गई है।
15. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

16. योजना का कार्यान्वयन अनुदेश संक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत अलग से निर्गत किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा।
17. प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर यथा आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।
18. उक्त योजना अंतर्गत पौधा संरक्षण उपादान क्रय में अनुदान की राशि/लाभ DBT(Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभान्वित कृषकों के बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा तथा सरजमीन सेवा के रूप में उद्यानिक फलों यथा आम, लीची एवं अमरुद के वृक्षों पर कीटनाशी का छड़काव (कीटनाशी सहित) में अनुदान की राशि/लाभ DBT(Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे सेवा प्रदाता को बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा।
19. संबंधित सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए संधारित SNA खाता एवं लेखा का समुचित संधारण किया जायेगा। PFMS के माध्यम से राशि की निकासी एवं राशि का अंतरण किया जायेगा।
20. संबंधित सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकर (ले०एवं ह०) बिहार, पटना के कायालय को प्रेषित किया जायेगा एवं इसकी प्रति कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेंशित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकर, बिहार को अंकेंशण का अधिकार होगा।
21. वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के लिए बजट शीर्ष का विवरण निम्न प्रकार हैः—

(राशि लाख रु० में)


	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्र)			
(i) मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्यशीर्ष -00 -लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण - मांग सं०-01, उपशीर्ष -0216-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड -01 - 2401001090216, पी०एफ०एम०एस०कोड- 9145, विषयशीर्ष -31-सहायता अनुदान- 0216 - 31 - 06सहायक अनुदान-गैर वेतन	7025.93	671.82537	
(ii) मुख्य शीर्ष2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्यशीर्ष -00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-01, उपशीर्ष -0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड -01-2401007890203, पी० एफ०एम०एस०कोड- 9145, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान-0203-31-06सहायक अनुदान-गैर वेतन	1686.43	170.94793	
(iii) मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष -00-लघुशीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना - मांग सं०-01, उपशीर्ष-0231-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड -01- 2401007960231, पी०एफ०एम० एस०कोड-9145, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान- 0231 - 31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	126.39	11.96636	
	योग	8838.75	854.73966

15

5

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)			
(i)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं0-01, उपशीर्ष-0316-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड-01-2401001090316, पी०एफ०एम०एस०कोड-9145, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान - 0316 - 31 - 06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	1532.64	447.88358
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्यशीर्ष- 00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांगसं0-01,उपशीर्ष-0303- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड-01- 2401007890303, पी० एफ०एम० एस० कोड-9145, विषय शीर्ष-31- सहायता अनुदान- 0303 - 31 - 06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	491.57	113.96529
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना- मांगसं0 -01,उपशीर्ष-0331-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड -01- 2401007960331, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145, विषय शीर्ष-31- सहायता अनुदान-0331-31-06 सहायक अनुदान -गैर वेतन	29.41	7.97757
	योग	2053.62	569.82644
	<b>सकल योग (i+ii)</b>	<b>10892.37</b>	<b>1424.56610</b>

22. वित्त विभाग की संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक-14.03.2024 को आयोजित बैठक में प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का सशर्त अनुमोदन संचिका सं0-04 / रा० कृषि० वि०पौ०सं०यो०-304 / 2024 के पू०सं०-14 / टि० पर दिनांक- 21.03.2024 को प्राप्त है।
23. योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-एम१-05(MCC) 2024-1970 दिनांक 30.03.2024 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-437 / 06 / पूर्व अनु०-01 / बिहार-ल००स० / 2024 दिनांक 27.03.2024 द्वारा दी गयी सर्वत सहमति संसूचित है।  
उक्त प्राप्त सशर्त सहमति के आलोक में सभी संबंधितों द्वारा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
24. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
25. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 04 / रा० कृषि० वि०पौ०सं०यो०-304 / 2024 के टिप्पणी पृष्ठ 16 / टि० पर दिनांक -30.03.2024 को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या-334 दिनांक-30.03.2024 है।

  
 (मनोज कुमार)  
 संयुक्त सचिव,  
 कृषि विभाग, बिहार, पटना

*Archived*  
ज्ञापांक सं0-04 / रा० कृषि० विंपौ०सं०यो०-304 / 2024-60- / कृ० पटना दिनांक 30/03) 2024

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एंव ह०), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Archived*  
संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक सं0-04 / रा० कृषि० विंपौ०सं०यो०-304 / 2024-60- / कृ० पटना दिनांक 30/03) 2024

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Archived*  
संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना

*Archived*  
ज्ञापांक सं0-04 / रा० कृषि० विंपौ०सं०यो०-304 / 2024-60- / कृ० पटना दिनांक 30/03) 2024

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Archived*  
संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक सं0-04 / रा० कृषि० विंपौ०सं०यो०-304 / 2024-60- / कृ० पटना दिनांक 30/03) 2024

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना /सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक पौधा संरक्षण/सभी सहायक निदेशक पौधा संरक्षण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना को विभाग के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*Archived*  
संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना



वित्तीय वर्ष 2024-25 में चर्तुर्थ कृषि रोड मैप तहत सार्वजनिक कृषि विकास योजना अंतर्गत आम, लीची एवं अमरुद के वृक्षों पर कीट एवं व्याप्ति प्रबंधन हेतु कीटनाशी सहित छिड़काव का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य। (राशि-लाख रु0 में)

अनुसूची- 1

क्र० सं	जिला कार्यालय का नाम	प्रखण्ड की संख्या	लीची के वृक्षों पर प्रथम छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @162 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 216 रु0 प्रति वृक्ष)		लीची के वृक्षों पर द्वितीय छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @114 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 152 रु0 प्रति वृक्ष)		आम के वृक्षों पर प्रथम छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 57 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 76 रु0 प्रति वृक्ष)		आम के वृक्षों पर द्वितीय छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 72 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 96 रु0 प्रति वृक्ष)		आमरुद के वृक्षों पर प्रथम कीटों के प्रबंधन हेतु छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 33 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 44 रु0 प्रति वृक्ष)		आमरुद के वृक्षों पर व्याप्ति प्रबंधन हेतु छिड़काव (कीटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 45 रु0 प्रति वृक्ष (लागत @ 60 रु0 प्रति वृक्ष)		
			मौतिक संख्या में	वित्तीय लाख रु0 में	मौतिक संख्या में	वित्तीय लाख रु0 में	मौतिक संख्या में	वित्तीय लाख रु0 में	मौतिक संख्या में	वित्तीय लाख रु0 में	मौतिक संख्या में	वित्तीय लाख रु0 में	मौतिक संख्या में	वित्तीय लाख रु0 में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	पटना	23	500	0.81000	500	0.57000	7000	3.99000	7000	5.04000	1500	0.49500	1500	0.67500	11.58000
2	नालदा	20	0	0.00000	0	0.00000	6000	3.42000	6000	4.32000	1360	0.422900	1300	0.58500	8.75400
3	गोप्ता	14	0	0.00000	0	0.00000	1400	0.79800	1400	1.00800	600	0.19800	600	0.27700	2.27400
4	रोहतास	19	0	0.00000	0	0.00000	1200	0.68400	1200	0.86400	1300	0.42900	1300	0.58500	2.56200
5	बक्सर	11	0	0.00000	0	0.00000	1000	0.57000	1000	0.72000	700	0.23100	700	0.31500	1.83600
6	कैमरू	11	0	0.00000	0	0.00000	1000	0.57000	1000	0.72000	800	0.24400	800	0.36000	1.91400
7	गया	24	0	0.00000	0	0.00000	1500	0.85500	1500	1.08000	3010	0.99330	3010	1.35450	4.28280
8	जहानाबाद	7	0	0.00000	0	0.00000	350	0.19950	350	0.25200	500	0.16500	500	0.22500	0.84150
9	अरसल	5	0	0.00000	0	0.00000	250	0.14250	250	0.18000	400	0.13200	400	0.18000	0.63450
10	नवादा	14	0	0.00000	0	0.00000	700	0.39900	700	0.50400	1000	0.33000	1000	0.45000	1.68300
11	औरंगाबाद	11	0	0.00000	0	0.00000	600	0.34200	600	0.43200	1000	0.33000	1000	0.45000	1.55400
12	भागलपुर	16	12000	19.44000	12000	13.68000	15000	8.55000	15000	10.80000	1100	0.36300	1100	0.49500	53.32800
13	बाँका	11	200	0.32400	200	0.22800	2000	1.14000	2000	1.44000	800	0.26400	800	0.36000	3.75600
14	बेंगुसराय	18	1900	3.07800	1900	2.16600	10000	5.70000	10000	7.20000	1500	0.49500	1500	0.67500	19.31400
15	खगड़ीया	7	1400	2.26800	1400	1.59600	6000	3.42000	6000	4.32000	500	0.16500	500	0.22500	11.99400
16	मुंगेर	9	400	0.64800	400	0.45600	4000	2.28000	4000	2.88000	300	0.09900	300	0.13500	6.49800
17	जमुई	10	0	0.00000	0	0.00000	1000	0.57000	1000	0.72000	300	0.09900	300	0.13500	1.52400
18	लखीसराय	7	0	0.00000	0	0.00000	3000	1.71000	3000	2.16000	200	0.06600	200	0.09000	4.02600
19	शेखपुरा	6	0	0.00000	0	0.00000	500	0.28500	500	0.36000	200	0.06600	200	0.09000	0.80100

क्रमांक	जिला कार्यालय का नाम	प्रखण्ड की सच्चा	लोची के दूसरे पर प्रथम छिड़काव (कोटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 162 रुपये प्रति दूसर (लगत @ 216 रुपये प्रति दूसर)										लोची के दूसरे पर हितीय छिड़काव (कोटनाशी सहित) पर 75 प्रतिशत अनुदान @ 114 रुपये प्रति दूसर (लगत @ 152 रुपये प्रति दूसर)									
			मौतिक सच्चा में लाख रुपये	वितीय सच्चा में लाख रुपये	मौतिक सच्चा में लाख रुपये	वितीय सच्चा में लाख रुपये	मौतिक सच्चा में लाख रुपये	वितीय सच्चा में लाख रुपये	मौतिक सच्चा में लाख रुपये	वितीय सच्चा में लाख रुपये	मौतिक सच्चा में लाख रुपये	वितीय सच्चा में लाख रुपये	मौतिक सच्चा में लाख रुपये	वितीय सच्चा में लाख रुपये	मौतिक सच्चा में लाख रुपये	वितीय सच्चा में लाख रुपये	मौतिक सच्चा में लाख रुपये	वितीय सच्चा में लाख रुपये	मौतिक सच्चा में लाख रुपये	वितीय सच्चा में लाख रुपये		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
20	सारण	20	2000	3.24000	2000	2.28000	15000	8.55000	15000	10.80000	2500	0.82500	2500	1.12500	26.82000	21	सिवान	19	2000	3.24000	2000	
21	सिवान	19	2000	3.24000	2000	2.28000	10000	5.70000	10000	7.20000	1200	0.39600	1200	0.54000	19.35600	22	गोपालगंज	14	1500	2.43000	1500	
23	मुजफ्फरपुर	16	21060	34.02000	21000	23.94000	10000	5.70000	10000	7.20000	1000	0.33000	1000	0.45000	71.64000	24	वैशाली	16	12000	19.44000	12000	
25	सीतामढी	17	5000	8.10000	5000	5.70000	6000	3.42000	6000	4.32000	1000	0.33000	1000	0.45000	22.32000	26	शिवहर	5	500	0.81000	500	
27	पूर्वी चम्पारण	27	25100	40.66200	25100	28.61400	25000	14.25000	25000	18.00000	1700	0.56100	1700	0.76500	102.85200	28	पश्चिमी चम्पारण	18	6000	9.72000	6000	
29	दरभंगा	18	5000	8.10000	5000	5.70000	8000	4.56000	8000	5.76000	400	0.13200	400	0.18000	24.43200	30	मध्यबंगी	21	3000	4.86000	3000	
31	समस्तीपुर	20	7000	11.34000	7000	7.98000	10000	5.70000	10000	7.20000	1200	0.39600	1200	0.54000	33.15600	32	सहरसा	10	700	1.13400	700	
33	सुपौल	11	600	0.97200	600	0.68400	6000	3.42000	6000	4.32000	600	0.19800	600	0.27000	10.14000	34	मध्यपुरा	13	600	0.97200	600	
35	पूर्णियाँ	14	1200	1.94400	1200	1.36800	7000	3.99000	7000	5.04000	400	0.13200	400	0.18000	12.65400	36	किशनगंज	7	300	0.48600	300	
37	अररिया	9	200	0.32400	200	0.22800	2000	1.14000	2000	1.44000	600	0.19800	600	0.27000	3.60000	38	कटिहार	16	1000	1.62000	1000	
	कुल योग	534	111100	179.98200	111100	126.65400	217000	123.69000	217000	156.24000	34710	11.45430	34710	15.61950	613.63980							

संयुक्त निदेशक बोर्ड  
विहार, पटना

संघर्ष विभाग सरकारी  
विहार, पटना

कृषि निदेशक, १५/०८/२०२१  
बिहार, पटना

अनुसूची- 2

वित्तीय वर्ष 2024–25 में चतुर्थ कृषि रोड मैप तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत (DPR) पौधा संरक्षण संबंधित बगीचों में समेकित कीट प्रबंधन एवं उपादान वितरण योजना में आकस्मिकता का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य। (राशि-लाख रु० में)

क्र० सं०	जिला कार्यालय का नाम	प्रखण्ड की संख्या	आकस्मिकता	कुल योग लक्ष्य (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
	संयुक्त निदेशाक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना	534	12.48950	12.48950

संयुक्त निदेशाक  
पौधा संरक्षण,  
बिहार, पटना

कृषि निदेशाक,  
बिहार, पटना



वित्तीय वर्ष 2024-25 में चतुर्थ कृषि गोड मैप तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत (DPR) पौधा संरक्षण संबंधित बगीचों में समोकित कीट प्रबंधन एवं उपादान वितरण योजना अंतर्गत विभिन्न फसलों में कीट-बाधि प्रबंधन हेतु फोरेमोन द्रैप, स्टिकी द्रैप, लाइफ टाइम द्रैप, जैव कीटनाशी एवं खरपतवारनाशी के क्रम पर अनुदान कार्यक्रम का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य। (राशि-लाख रु ० में)

क्र० सं०	निला कार्यालय का नाम संख्या	प्रखण्ड की संख्या	पचासवार्षीय संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-25 में चतुर्थ कृषि गोड मैप तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत (DPR) पौधा संरक्षण संबंधित बगीचों में समोकित कीट प्रबंधन एवं उपादान वितरण योजना अंतर्गत विभिन्न फसलों में कीट-बाधि प्रबंधन हेतु फोरेमोन द्रैप, स्टिकी द्रैप, लाइफ टाइम द्रैप, जैव कीटनाशी एवं खरपतवारनाशी के क्रम पर अनुदान कार्यक्रम का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य। (राशि-लाख रु ० में)																
				स्थानाच्य. दलहन एवं तेलहन फसलों के लिए फोरेमोन द्रैप सेट (१ द्रैप स्टैंड +३ ल्यार) @ ५ सेट प्रति एकड़ क्रय मूल्य का ७५ प्रति एकड़ क्रय मूल्य का ७५ प्रति एकड़ क्रय मूल्य का २५ प्रति एकड़ (३१५.०० रु० प्रति एकड़) प्रति सेट (४५०.०० रु० प्रति एकड़) में जौ कम हो (भौतिक लक्ष्य खरीफ-रबी में अलग-अलग)				स्थानाच्य. दलहन एवं तेलहन फसलों के लिए स्टिकी द्रैप (मीला एवं नीला) ए ४ साइज @ १२ सेट प्रति एकड़ क्रय मूल्य का ७५ प्रति एकड़ क्रय मूल्य का ७५ प्रति एकड़ क्रय मूल्य का २५ प्रति एकड़ (३१५.०० रु० प्रति एकड़) में जौ कम हो (भौतिक लक्ष्य खरीफ-रबी में अलग-अलग)				उद्यानिक फसलों फल, सब्जी एवं दलहन, तेलहन के लिए स्टिकी द्रैप (मीला एवं नीला) ए ४ साइज @ १२ सेट प्रति एकड़ क्रय मूल्य का २५ प्रति एकड़ क्रय मूल्य का २५ प्रति एकड़ (३१५.०० रु० प्रति एकड़) में जौ कम हो (भौतिक लक्ष्य खरीफ-रबी में अलग-अलग)				उद्यानिक फसलों फल, सब्जी एवं दलहन, तेलहन के लिए लाइफ टाइम द्रैप (५ द्रैप स्टैंड +५ ल्यार) @ ५ सेट प्रति एकड़ क्रय मूल्य का २५ प्रति एकड़ क्रय मूल्य का २५ प्रति एकड़ (३१५.०० रु० प्रति एकड़) में जौ कम हो (भौतिक लक्ष्य खरीफ-रबी में अलग-अलग)				
				मौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)	मौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)	मौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)	मौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)	मौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)	मौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)	मौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)			
१	२	३	४	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१	पटना	२३	३१२	२५७५०	२.५८७५०	९२	०.२८९८०	०.२८९८०	८०५	६.०३७५०	६.०३७५०	१४०	३.६८०००	३.६८०००	२३०	४.६००००	४.६००००	३४.३८९६०		
२	नालंदा	२०	२३१	२.२५०००	२.२५०००	८०	०.२५२००	०.२५२००	७००	५.२५०००	५.२५०००	१६००	३.२००००	३.२००००	२०००	४.०००००	४.०००००	२९.९०४००		
३	मोजाफूर	१४	२२८	१.५७५००	१.५७५००	५६	०.१७६४०	०.१७६४०	४९०	३.६७५००	३.६७५००	११२०	२.२४०००	२.२४०००	१४०	२.८००००	२.८००००	२०.९३२८०		
४	रोहतास	१९	२२९	२.१३७५०	२.१३७५०	७६	०.२३९४०	०.२३९४०	६६५	४.९८७५०	४.९८७५०	१५२०	३.०४०००	३.०४०००	१९००	३.८००००	३.८००००	२८.४०८८०		
५	बक्सर	११	१४२	२.१२३७५०	२.१२३७५०	४४	०.१३८६०	०.१३८६०	३८५	२.८८७५०	२.८८७५०	८८०	१.७६०००	१.७६०००	११००	२.२००००	२.२००००	१६.४४७२०		
६	कैमूर	११	१४६	१.२३७५०	१.२३७५०	४४	०.१३८६०	०.१३८६०	३८५	२.८८७५०	२.८८७५०	८८०	१.७६०००	१.७६०००	११००	२.२००००	२.२००००	२.२००००		
७	गाधा	२४	३२०	२.७००००	२.७००००	९६	०.३०२४०	०.३०२४०	८४०	६.३००००	६.३००००	१९२०	३.८४०००	३.८४०००	२४००	४.८००००	४.८००००	३५.३८४८०		
८	जहानाबाद	७	९३	०.७८७५०	०.७८७५०	२८	०.०८८२०	०.०८८२०	२४५	१.८३७५०	१.८३७५०	५६०	१.१२०००	१.१२०००	७००	१.४००००	१.४००००	१०.४६६४०		
९	अरंपत्त	५	६४	०.५६२५०	०.५६२५०	२०	०.०६३००	०.०६३००	१७५	१.३१२५०	१.३१२५०	४००	०.८००००	०.८००००	५००	१.०००००	१.०००००	७.४७६००		
१०	नवादा	१४	१८७	१.५७५००	१.५७५००	५६	०.१७६४०	०.१७६४०	४९०	३.६७५००	३.६७५००	११२०	२.२४०००	२.२४०००	१४००	२.८००००	२.८००००	२०.९३२८०		
११	ओरंगाबाद	११	२०३	१.२३७५०	१.२३७५०	४४	०.१३८६०	०.१३८६०	३८५	२.८८७५०	२.८८७५०	८८०	१.७६०००	१.७६०००	११००	२.२००००	२.२००००	१६.४४७२०		
१२	भागलपुर	१६	२३८	१.८००००	१.८००००	६४	०.२०१६०	०.२०१६०	५६०	४.२००००	४.२००००	१२८०	२.५६०००	२.५६०००	१६००	३.२००००	३.२००००	२३.९२३२०		
१३	बाँका	११	१८२	१.२३७५०	१.२३७५०	४४	०.१३८६०	०.१३८६०	३८५	२.८८७५०	२.८८७५०	८८०	१.७६०००	१.७६०००	११००	२.२००००	२.२००००	२.२००००		
१४	बंगुसराय	१८	२१८	२.०२५००	२.०२५००	७२	०.२२६८०	०.२२६८०	६३०	४.७२५००	४.७२५००	१४४०	२.९८०००	२.९८०००	१८००	३.६००००	३.६००००	२६.९१३६०		
१५	खगड़िया	७	११३	०.७८७५०	०.७८७५०	२८	०.०८८२०	०.०८८२०	२४५	१.८३७५०	१.८३७५०	५६०	१.१२०००	१.१२०००	७००	१.४००००	१.४००००	१०.४६६४०		
१६	मुग्रेर	९	१०१	१.०१२५०	१.०१२५०	३६	०.११३४०	०.११३४०	३१५	२.३६२५०	२.३६२५०	७२०	१.४४०००	१.४४०००	९००	१.८००००	१.८००००	१३.४५६८०		
१७	जमुई	१०	१५३	१.१२५००	१.१२५००	४०	०.१२६००	०.१२६००	३५०	२.६२५००	२.६२५००	८००	१.६००००	१.६००००	१०००	२.०००००	२.०००००	१४.३५२००		
१८	लखीसराय	७	७६	०.७८७५०	०.७८७५०	२८	०.०८८२०	०.०८८२०	२४५	१.८३७५०	१.८३७५०	५६०	१.१२०००	१.१२०००	७००	१.४००००	१.४००००	१०.४६६४०		

क्रमांक	निवास कार्यालय का नाम	प्रखण्ड की संख्या	उद्यान्य दलहन एवं तेलहन फसलों के लिए फसलों के लिए फर्मेन्ट ट्रैप सेट (1 ट्रैप स्टैंड +3 ल्यार) @ 5 सेट प्रति एकड़ क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम 90.00 रुपये प्रति एकड़ क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम 26.25 रुपये प्रति एकड़ (31.00 रुपये प्रति एकड़) में जो कम हो जो कम हो (भौतिक लक्ष्य खरीफ-रवी में अलग-अलग)	उद्यान्यिक फसलों एवं दलहन के लिए ट्रिटिकी ट्रैप (भीला एवं नीला) @ 4 साइज़ @ 12 प्रति एकड़ क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम 10.00 रुपये प्रति एकड़ (75.00 रुपये प्रति एकड़) में जो कम हो जो कम हो (भौतिक लक्ष्य खरीफ-रवी में अलग-अलग)	उद्यान्यिक फसलों एवं दलहन के लिए सालियों के लिए लाईक टाइम ट्रैप सेट (5 ट्रैप स्टैंड + 5 ल्यार) @ 5 सेट प्रति एकड़ क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम 200/- रुपये प्रति एकड़, में जो कम हो (भौतिक लक्ष्य खरीफ-रवी में अलग-अलग)									
			भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19	शेखपुरा	6	53	150	0.67500	24	0.07560	210	1.57500	480	0.96000	0.96000	600	
20	सारण	20	323	500	2.25000	80	0.25200	700	5.25000	1600	3.20000	3.20000	2000	
21	सिवान	19	283	475	2.12750	76	0.23940	665	4.98750	1520	3.04000	1900	3.80000	
22	गोपलगंज	14	230	350	1.57500	56	0.17640	490	3.67500	1120	2.24000	1400	2.80000	
23	मुगापकरापुर	16	375	400	1.80000	64	0.20160	560	4.20000	1280	2.56000	1600	3.20000	
24	वैशाली	16	284	400	1.80000	64	0.20160	560	4.20000	1280	2.56000	1600	3.20000	
25	सीतामढी	17	258	425	1.91250	68	0.21420	595	4.46250	1360	2.72000	1700	3.40000	
26	शिवहर	5	53	125	0.56250	20	0.06300	175	1.31250	400	0.80000	500	1.00000	
27	पूर्वी चम्पारण	27	405	675	3.03750	108	0.34020	945	7.08750	2160	4.32000	2700	5.40000	
28	परिचमी चम्पारण	18	345	450	2.02500	72	0.22680	630	4.72500	1440	2.88000	1800	3.60000	
29	दरभंगा	18	308	450	2.02500	72	0.22680	630	4.72500	1440	2.88000	1800	3.60000	
30	मधुबनी	21	389	525	2.36250	84	0.26460	735	5.51250	1680	3.36000	2100	4.20000	
31	समस्तीपुर	20	360	500	2.25000	80	0.25200	700	5.25000	1600	3.20000	2000	4.00000	
32	सहरसा	10	135	250	1.12500	40	0.12600	350	2.62500	800	1.60000	1000	2.00000	
33	झुमोत	11	174	275	1.23750	44	0.13860	385	2.88750	880	1.76000	1100	2.20000	
34	मध्यपुरा	13	164	325	1.46250	52	0.16380	455	3.41250	1040	2.08000	1300	2.60000	
35	पूर्णियाँ	14	236	350	1.57500	56	0.17640	490	3.67500	1120	2.24000	1400	2.80000	
36	किशनगंज	7	125	175	0.78750	28	0.08820	245	1.83750	560	1.12000	700	1.40000	
37	अररिया	9	218	225	1.01250	36	0.11340	315	2.36250	720	1.44000	900	1.80000	
38	कटिहार	16	238	400	1.80000	64	0.20160	560	4.20000	1280	2.56000	1600	3.20000	
	कुल योग	534	8152	13350	60.07500	2136	6.72840	18690	140.17500	140.17500	42720	85.44000	53400	106.80000

संयुक्त निवासक प्राधिक सचिव,  
विहार, पटना

कृषि निवासक  
विहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत (DPR Based Scheme) जिलावार, कोटिवार एवं पदाधिकारीवार व्यय  
विवरणी वित्तीय लक्ष्य। (राशि—लाख रु० में)

क्र० सं०	व्ययन पदाधिकारी	केन्द्रांश				राज्यांश				कुल
		सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	केन्द्रांश योग	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	राज्यांश योग	
1	संयुक्त निदेशक, पौधा सं०, विहार, पटना	5,89005	1,49874	0,10491	7,49370	3,92670	0,99916	0,06994	4,99580	12,48950
2	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना	21,67926	5,51636	0,38614	27,58176	14,45284	3,67757	0,25743	18,38784	45,96960
3	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नालन्दा	18,23111	4,63896	0,32473	23,19480	12,15408	3,09264	0,21648	15,46320	38,65800
4	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, भोजपुर	10,94433	2,78482	0,19493	13,92408	7,29622	1,85654	0,12996	9,28272	23,20680
5	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, शोहतास	14,60583	3,71650	0,26015	18,58248	9,73722	2,47766	0,17344	12,38832	30,97080
6	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बक्सर	8,62236	2,19398	0,15358	10,96992	5,74824	1,46266	0,10238	7,31328	18,28320
7	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, कैम्बू	8,65915	2,20334	0,15423	11,01672	5,77276	1,46890	0,10282	7,34448	18,36120
8	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, गया	18,94304	4,82011	0,33741	24,10056	12,62869	3,21341	0,22494	16,06704	40,16760
9	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जहानाबाद	5,33280	1,35695	0,09499	6,78474	3,55520	0,90463	0,06333	4,52316	11,30790
10	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, अरबल	3,82491	0,97326	0,06813	4,86630	2,54994	0,64884	0,04542	3,24420	8,11050
11	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नवादा	10,66561	2,71390	0,18997	13,56948	7,11041	1,80926	0,12665	9,04632	22,61580
12	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, औरंगाबाद	8,48937	2,16014	0,15121	10,80072	5,65958	1,44010	0,10080	7,20048	18,00120
13	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, भागलपुर	36,43167	9,27014	0,64891	46,35072	24,28778	6,18010	0,43260	30,90048	77,25120
14	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बांका	9,52783	2,42438	0,16971	12,12192	6,35189	1,61626	0,11313	8,08128	20,20320
15	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बेगुसराय	21,80094	5,54731	0,38831	27,73656	14,53396	3,69821	0,25887	18,49104	46,22760
16	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, खगड़िया	10,59232	2,69525	0,18867	13,47624	7,06155	1,79683	0,12578	8,98416	22,46040
17	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुगेर	9,41068	2,39458	0,16762	11,97288	6,27379	1,59638	0,11175	7,98192	19,95480
18	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जमुई	7,77008	1,97712	0,13840	9,88560	5,18005	1,31808	0,09227	6,59040	16,47600
19	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, लखीसराय	6,83462	1,73909	0,12173	8,69544	4,55641	1,15939	0,08116	5,79696	14,49240
20	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, शेखपुरा	4,60857	1,17266	0,08209	5,86332	3,07238	0,78178	0,05472	3,90888	9,77220
21	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सारण	26,75104	6,80688	0,47648	34,03440	17,83403	4,53792	0,31765	22,68960	56,72400
22	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सिवान	22,52588	5,73178	0,40122	28,65888	15,01725	3,82118	0,26749	19,10592	47,76480
23	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, गोपालगंज	17,02231	4,33138	0,30319	21,65688	11,34821	2,88758	0,20213	14,43792	36,09480
24	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुजफ्फरपुर	45,06761	11,46758	0,80273	57,33792	30,04507	7,64506	0,53515	38,22528	95,56320
25	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, वैशाली	33,72091	8,58038	0,60063	42,90192	22,48061	5,72026	0,40041	28,60128	71,50320
26	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सीतामढी	22,51343	5,72861	0,40100	28,64304	15,00895	3,81907	0,26734	19,09536	47,73840
27	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, शिवहर	5,50357	1,40040	0,09803	7,00200	3,66905	0,93360	0,06535	4,66800	11,67000
28	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्णी चम्पारण	67,54368	17,18669	1,20307	85,93344	45,02912	11,45779	0,80205	57,28896	143,22240
29	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पार्श्चमा चम्पारण	26,34527	6,70363	0,46926	33,51816	17,56352	4,46909	0,31283	22,34544	55,86360
30	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, दरभंगा	24,21458	6,16147	0,43131	30,80736	16,14306	4,10765	0,28753	20,53824	51,34560
31	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मधुबनी	23,68998	6,02798	0,42196	30,13992	15,79332	4,01866	0,28130	20,09328	50,23320
32	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, समर्टीपुर	29,73910	7,56720	0,52970	37,83600	19,82606	5,04480	0,35314	25,22400	63,06000
33	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, राहरसा	11,83339	3,01104	0,21077	15,05520	7,88892	2,00736	0,14052	10,03680	25,09200
34	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सुपील	12,40836	3,15734	0,22102	15,78672	8,27224	2,10490	0,14734	10,52448	26,31120
35	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मधेपुरा	12,52834	3,18787	0,22315	15,93936	8,35222	2,12525	0,14877	10,62624	26,56560
36	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्णी चम्पारण	15,83953	4,03042	0,28213	20,15208	10,55969	2,68694	0,18809	13,43472	33,58680
37	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, किशनगंज	7,63964	1,94393	0,13607	9,71964	5,09309	1,29595	0,09072	6,47976	16,19940
38	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, अररिया	8,04398	2,04682	0,14328	10,23408	5,36266	1,36454	0,09552	6,82272	17,05680
39	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, कटिहार	16,03024	4,07894	0,28554	20,39472	10,68682	2,71929	0,19037	13,59648	33,99120
कुल योग		671,82537	170,94793	11,96636	854,73966	447,88358	113,96529	7,97757	569,82644	1424,56610

संयुक्त निदेशक पौधा संरक्षण,  
विहार, पटना

कृषि निदेशक,  
विहार, पटना।

